



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07022023-243501
CG-DL-E-07022023-243501

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 65]
No. 65]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 6, 2023/माघ 17, 1944
NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 6, 2023/MAGHA 17, 1944

मत्स्य पालन, पशु पालन और डेयरी मंत्रालय

(पशुपालन और डेयरी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2023

सा.का.नि. 82(अ).—पशुओं पर परीक्षण के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के प्रयोजनार्थ समिति (सीपीसीएसईए) के प्रशासनिक प्रारूप नियम 2022 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में भारत सरकार के मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक सा. का. नि. 292 (अ), तारीख 11 अप्रैल, 2022 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से जिनको उक्त अधिसूचना में अंतर्विष्ट राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पहले आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, जनता को 11 अप्रैल, 2022 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर पशुओं पर प्रयोगों संबंधी नियंत्रण और पर्यवेक्षण के लिए समिति द्वारा विचार कर लिया गया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 (1960 का 59) की धारा 38 के साथ पठित धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रशासनिक (पशुओं पर प्रयोगों संबंधी नियंत्रण और पर्यवेक्षण के लिए समिति) नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं- इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो;

(क) "अधिनियम" से पशुओं के प्रति कूरता निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) अभिप्रेत है;

(ख) "बोर्ड" से अधिनियम की धारा 4 के अधीन स्थापित और धारा 5 के अधीन समय-समय पर यथा पुनर्गठित भारतीय पशु-कल्याण बोर्ड अभिप्रेत है;

(ग) "सीसीएसईए" से अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित पशुओं पर प्रयोगों संबंधी नियंत्रण और पर्यवेक्षण के लिए समिति जिसे इसमें इसके पश्चात् समिति कहा गया है अभिप्रेत है;

(घ) "अध्यक्ष" से अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन नामनिर्देशित अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ङ) "सदस्य" से पशुओं पर प्रयोगों संबंधी नियंत्रण और पर्यवेक्षण के लिए समिति का सदस्य अभिप्रेत है;

(च) "सदस्य-सचिव" से पशुओं पर प्रयोगों संबंधी नियंत्रण और पर्यवेक्षण के लिए समिति का सदस्य-सचिव अभिप्रेत है;

(छ) "आईईसी" से संस्थागत पशु नैतिक समिति अभिप्रेत है; और

(ज) "प्रयोग" से जैविक, शरीर क्रियात्मक, जीवपरिस्थितिकीय, भौतिक या रासायनिक प्रकृति के ज्ञान के अर्जन के लिए पशुओं के उपयोग को अंतर्वलित करने वाला कोई कार्यक्रम या परियोजना अभिप्रेत है; और जिसमें जीवन को बचाने या दीर्घ बनाने या यातनान्यून करने या देश के लोगों के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण अभिलाषों के प्रयोजन के लिए अभिकर्मकों और उत्पादों जैसे प्रतिजन और प्रतिपिंड, नैत्यिक निदान, परीक्षण गतिविधि और ट्रांसजेनिक स्टॉक की स्थापना के उत्पादन में या मनुष्यों या पशुओं को लगने वाले किसी रोग की रोखथाम के लिए उपयोगी हों, शामिल है;

3. समिति का मुख्यालय- पशुओं पर प्रयोगों संबंधी नियंत्रण और पर्यवेक्षण के लिए समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

4. समिति का गठन- केन्द्रीय सरकार, निम्नलिखित सदस्यों के साथ अधिनियम की धारा 15 के अनुसार पशुओं पर प्रयोगों संबंधी नियंत्रण और पर्यवेक्षण के लिए समिति का गठन करेगी;

1. अपर सचिव या उनके समतुल्य या संयुक्त सचिव, पशु कल्याण भारसाधक;
2. संयुक्त आयुक्त/ उपायुक्त, पशु कल्याण भारसाधक;
3. प्रतिनिधि, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड जो सचिव, पशु कल्याण बोर्ड की पंक्ति से नीचे का न हो;
4. अध्यक्ष, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली या उनका प्रतिनिधि जो सचिव, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद की पंक्ति से नीचे का न हो;
5. अध्यक्ष, भारतीय भेषजी परिषद, नई दिल्ली या उनका प्रतिनिधि जो सचिव, भारतीय भेषजी परिषद की पंक्ति से नीचे का न हो;
6. केन्द्रीय ओषधि मानक नियंत्रण संगठन, नई दिल्ली का प्रतिनिधि जो उप-ओषधि नियंत्रक की पंक्ति से नीचे का न हो;
7. अध्यक्ष, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, नई दिल्ली या उनका प्रतिनिधि जो अध्यक्ष, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की पंक्ति से नीचे का न हो;
8. अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली या उनका प्रतिनिधि जो सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पंक्ति से नीचे का न हो;
9. भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली का प्रतिनिधि जो वैज्ञानिक- एफ की पंक्ति से नीचे का न हो;
10. वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली का प्रतिनिधि जो वैज्ञानिक- एफ की पंक्ति से नीचे का न हो;
11. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली का प्रतिनिधि जो वैज्ञानिक- एफ की पंक्ति से नीचे का न हो;
12. जैव प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली का प्रतिनिधि जो वैज्ञानिक- एफ की पंक्ति से नीचे का न हो;
13. भेषजी विज्ञान, जैव सांख्यिकी, पशुचिकित्सा विज्ञान और प्राणि विज्ञान के क्षेत्र से तीन सदस्य - सदस्य;

14. पशुधन या अश्व या कुत्ते और गैर-मानव प्राइमेट के विशेषज्ञ दो सदस्य - सदस्य; और

15. दो सामाजिक रूप से जागरूक सदस्य जिन्हें पशु नैतिकता, कल्याण और पशु प्रयोग के विकल्पों का ज्ञान हो - सदस्य।

5. समिति का अध्यक्ष- केन्द्रीय सरकार, अपर सचिव या उनके समतुल्य या संयुक्त सचिव, पशु कल्याण भारसाधक को इसके अध्यक्ष के रूप में नामित करेगी।

6. समिति का सदस्य-सचिव- केन्द्रीय सरकार, संयुक्त आयुक्त या उपायुक्त, पशु कल्याण भारसाधक को इसके सदस्य सचिव के रूप में नामित करेगी।

7. आकस्मिक रिक्तियां- (1) किसी सदस्य के कार्यालय में उद्भूत होने वाली कोई आकस्मिक रिक्ति नियम - 4 के खंडों में 'खंड' एक या अन्य खंडों में उपबंधित रीति में उस हैसियत के अनुसार जिसमें उस व्यक्ति ने सदस्य के रूप में समिति में स्थान पाया था, केन्द्रीय सरकार द्वारा भरी जायेगी।

(2) आकस्मिक नियुक्ति को भरने के लिए नियुक्त सदस्य तब तक पद धारण करेगा जब तक कि ऐसा सदस्य जिसके स्थान को वह भरता है पद को धारण करने का हकदार हुआ होता यदि रिक्ति उद्भूत नहीं हुई होती।

8. त्याग-पत्र- (1) अध्यक्ष से भिन्न कोई सदस्य, अध्यक्ष को संबोधित पत्र द्वारा, सदस्यता से त्याग-पत्र दे सकेगा।

(2) अध्यक्ष भारत सरकार के प्रशासनिक मंत्रालय के सचिव को संबोधित पत्र द्वारा सदस्यता से त्याग-पत्र दे सकेगा।

(3) त्याग-पत्र उसके स्वीकार किए जाने की तारीख से या त्याग-पत्र की तारीख से तीस दिन की समाप्ति पर, जो भी पहले हो, प्रभावी होगा।

9. समिति से हटाया जाना - समिति के किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाएगी, यदि सदस्य;

(क) समिति की अनुमति के बिना, समिति की लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहता है; या

(ख) दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है; या

(ग) पशु क्रूरता और नैतिक अधमता को अंतर्वलित करने वाले अपराध के लिए अभियुक्त ठहराया गया है; या

(घ) ऐसे सदस्य के रूप में कार्य करने में शारीरिक या मानसिक रूप असमर्थ हो गया है; या

(ङ) सदस्यता की गोपनीयता की शर्त का उल्लंघन किया है।

10. समिति का कार्यकाल- समिति का समय-समय पर, इसके पुनर्गठन की तारीख से प्रत्येक तीन वर्ष की समाप्ति पर उपरोक्त नियम-4 के अनुसार पुनर्गठन किया जाएगा।

11. समिति के कृत्य - समिति निम्नलिखित कार्यों का निर्वहन करेगी, अर्थात्;

(क) पशुओं के प्रजनन एवं पशुओं पर परीक्षण करने में लगे स्थापनों का रजिस्ट्रीकरण और रजिस्ट्रीकृत स्थापनों का नवीकरण।

(ख) संस्थागत पशु नैतिक समिति का गठन, पुनर्गठन और पुनरीक्षण।

(ग) छोटे और बड़े पशुओं के लिए पशु गृह सुविधाओं का अनुमोदन।

(घ) पशुओं पर प्रयोग के लिए अनुसंधान प्रोटोकाल की परीक्षा, बड़े पशुओं पर अनुसंधान प्रोटोकाल की संवीक्षा और उसका अनुमोदन।

(ङ) उन स्थापनों, संस्थानों और केंद्रों की पशु गृह सुविधाओं का निरीक्षण जहां प्रायोगिक पशुओं को अनुसंधान, बायोफार्मास्यूटिकल्स के उत्पादन और प्रजनन के प्रयोजन के लिए रखा जाता है।

(च) प्रयोगशाला पशु कल्याण के प्रति जागरूकता के लिए सम्मेलन, संगोष्ठी, कार्यशालाएं, नामनिर्देशित प्रशिक्षण इत्यादि का संचालन करना और प्रयोगों और शिक्षण या प्रशिक्षण सम्बन्धी प्रयोजनों के लिए पशुओं के उपयोग के संबंध में रिप्लेसमेंट, रिडक्शन एवं रिफाइनमेंट के सिद्धांतों को संप्रवर्तित करना तथा समिति के अधिदेश के अनुसार उपलब्ध गैर-पशु पद्धतियों और गैर-पशु व्युत्पन्न जैविक उत्पादों को मान्यता देना।

(छ) अनुसंधान संस्थओं, फार्मास्यूटिकल कंपनियों और शैक्षिक संस्थओं में प्रयोग हेतु पशुओं के कल्याण के संबंध में सरकार को सलाह देना।

(ज) उक्त अधिनियम के अधीन पशुओं के कल्याण के लिए बनाए गए समिति के नियमों और दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना।

(झ) समिति के नामनिर्देशित द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण रिपोर्ट का विश्लेषण करना और स्थापनों द्वारा प्रस्तुत संस्थागत पशु नैतिक समिति के बैठक के कार्यवृत्त की संवीक्षा करना।

(ञ) प्रयोगशाला पशुओं को रखने वाले अधिक से अधिक स्थापनों को जोड़ने का प्रयास करना और उन्हें समिति की परिधि में लाना।

(ट) उक्त अधिनियम के अनुसार समनुदेशित किए गए समिति के अधिदेश के अनुसार प्रयोगशाला पशु कल्याण से संबंधित कोई अन्य कार्य।

(ठ) समिति के दिशानिर्देशों का पुनरीक्षण, उनका प्रसार, कार्यान्वयन और मानीटरी।

(ड) प्रवर्गत: प्रयोजनवार पशु सुविधाओं का श्रेणीकरण करना, उदाहरणार्थ:-

- (i) चिकित्सा महाविद्यालय संगठन,
- (ii) फार्मेसी महाविद्यालय,
- (iii) पशु चिकित्सा महाविद्यालय,
- (iv) अनुसंधान संस्थान,
- (v) फार्मा उद्योग,
- (vi) वैक्सीन उद्योग,
- (vii) जीवन विज्ञान विश्वविद्यालय, इत्यादि।

(ढ) प्रयोग, शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध गैर-पशु पद्धतियों पर डेटाबेस का रखरखाव।

12. समिति की बैठके - (1) समिति की बैठक प्रत्येक माह में एक बार आयोजित की जायेगी।

(2) बैठकें साधारणतया समिति के मुख्यालय में आयोजित की जाएगी किंतु अध्यक्ष, यदि आवश्यक हो, समिति के मुख्यालय से भिन्न स्थान पर बैठक का स्थल नियत कर सकता है।

13. कारबार का निपटान- (1) समिति के कार्यालय में, इसके समर्पित वेब पोर्टल के माध्यम से प्राप्त आवेदनों या प्रस्तावों पर निम्नलिखित समय-सीमा के अनुसार विचार किया जायेगा और उन पर कार्रवाई की जाएगी:

क्रमांक	कार्यकलाप	समय सीमा
1	रजिस्ट्रीकरण का अनुमोदन और संस्थागत पशु नैतिक समिति का गठन अथवा रजिस्ट्रीकरण में संशोधन	सात कार्यदिवस
2	रजिस्ट्रीकरण का नवीनीकरण और संस्थागत पशु नैतिक समिति का पुनर्गठन अथवा संस्थागत पशु नैतिक समिति का पुनरीक्षण अथवा नामनिर्देशित का परिवर्तन	तीन कार्यदिवस
3	समिति द्वारा प्रोटोकाल में कमी को इंगित करना और प्रोटोकाल को अस्वीकृत कर संगठन को वापस करना।	तीन कार्यदिवस
4	समिति की उप-समिति द्वारा प्रोटोकॉल का मूल्यांकन करना और विचार किए जाने के लिए समिति को अग्रेषित करना।	सात कार्यदिवस
5	समिति के अनुसार सभी पूर्वापेक्षाएं पूरी होने पर, बड़े पशु अनुसंधान प्रोटोकॉल का मूल्यांकन और उस पर निर्णय	तीस कार्यदिवस
6	समिति की बैठक	मास में एक बार

- (2) उपरोक्त समय-सीमा, स्थापनों द्वारा सभी अपेक्षित व्योरो और दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के अधीन रहते हुए है।
- (3) सभी मामलों पर, जिनमें समिति के सदस्यों के विचार-विमर्श की अपेक्षा की जाती है, या तो इसकी बैठक में या कागजातों के परिचालन के द्वारा विचार किया जाएगा।
- (4) जब कोई मामला कागजात के परिचालन द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है तो कोई भी सदस्य यह अनुरोध कर सकेगा कि मामले पर समिति की बैठक में विचार किया जाए और उसके बाद अध्यक्ष यह निदेश दे सकेगा कि इस पर इस प्रकार विचार किया जाए।

परन्तु यदि तीन या अधिक सदस्य ऐसा अनुरोध करते हैं तो अध्यक्ष निदेश देगा कि इस पर इस प्रकार विचार किया जाए।

- (5) प्रस्तावों को अनुमोदित माना जाएगा यदि प्रस्ताव सभी तरह से पूरा होने के बाद भी एक मास से अधिक समय से लंबित पड़ा हुआ है या समिति ने एक मास तक प्रस्ताव पर विचार-विमर्श नहीं किया है।
- (6) समिति द्वारा उठाए गए प्रश्नों या स्पष्टीकरणों का उत्तर नियत समय के भीतर प्राप्त न होने पर या उनका अनुपालन नहीं होने पर, प्रस्तावों को रद्द माना जाएगा।

14. वार्षिक साधारण बैठक - (1) वर्ष में एक बार वार्षिक साधारण बैठक होगी।

- (2) प्रत्येक वर्ष साधारण बैठक में, सदस्य सचिव, वित्तीय वर्ष की कार्यवाही के कार्यक्रम के लिए समिति के अनुमोदनार्थ समिति की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखा प्रस्तुत करेगा।

15. विशेष बैठकें - (1) अध्यक्ष, समिति के 15 सदस्यों की लिखित मांग पर समिति की विशेष बैठक बुलाएगा।

- (2) समिति के सदस्यों द्वारा की गई कोई भी मांग बैठक बुलाए जाने के लिए प्रस्तावित बैठक के उद्देश्य को विनिर्दिष्ट करेगी और सदस्य-सचिव के पते पर छोड़ दी जाएगी या उनके पते पर डाक द्वारा भेजी जाएगी।

- (3) ऐसी मांग पर, अध्यक्ष, ऐसी मांग प्राप्त होने के पश्चात् तीस दिन के भीतर होने वाली बैठक की सूचना देगा।

16. बैठक की सूचना - समिति की बैठक आहूत करने वाली प्रत्येक सूचना में तारीख, समय और स्थान, जिस पर यह बैठक आयोजित की जाएगी, का उल्लेख होगा और समिति के प्रत्येक सदस्य को बैठक के लिए नियत दिन से कम से कम सात दिन पहले दी जाएगी, जबकि वार्षिक साधारण बैठक की स्थिति में सूचना की अवधि पन्द्रह दिन से कम नहीं होगी।

17. बैठक की गणपूर्ति (कोरम)- समिति की प्रत्येक बैठक में समिति की गणपूर्ति (कोरम) ग्यारह सदस्यों से होगी परन्तु किसी भी ऐसी बैठक में, जिसमें ग्यारह से कम सदस्य उपस्थित हों, अध्यक्ष, बैठक को उस तारीख से कम से कम चौदह दिन बाद की तारीख के लिए स्थगित कर सकेगा और उपस्थित सदस्यों को तथा अन्य सदस्यों को सूचित करते हुए प्रस्तावित कर सकेगा कि कार्य के निपटान के लिए कोरम की परवाह किए बिना स्थगित बैठक और उसके बाद ऐसी बैठक में शामिल होने वाले सदस्यों की संख्या पर ध्यान दिए बिना व्यवसाय का निपटान करना वैध होगा।

18. बैठक में प्रक्रिया- (1) यदि अध्यक्ष समिति की किसी बैठक में उपस्थित नहीं है तो सदस्य अपने में से ही किसी सदस्य को बैठक के अध्यक्ष के रूप में चुनेंगे।

- (2) समिति की बैठक में सदस्यों के बीच मतभेद की स्थिति में, बहुमत की राय अभिभावी होगी।

- (3) प्रत्येक सदस्य के पास एक मत होगा और यदि समिति की बैठक में विनिश्चित किये जाने वाले किसी विषय पर मत बराबर होंगे तो बैठक के अध्यक्ष का मत निर्णायक मत होगा।

- (4) किसी भी कार्य पर जो कार्यसूचि में नहीं है, बैठक में अध्यक्ष की अनुमति के बिना विचार नहीं किया जाएगा।

- (5) किसी भी विशिष्ट बैठक में उपस्थित सदस्यों की आम सहमति अभिभावी होगी।

परन्तु यदि कोई सदस्य पशुओं के उपयोग के विकल्प की उपलब्धता के आधार पर किसी प्रोटोकॉल के प्रति आपत्ति अभिलेख पर रखता है, तो पशुओं का उपयोग करने का प्रस्ताव करने वाला ऐसा प्रोटोकॉल अस्वीकार कर दिया जाएगा।

परन्तु यदि कोई सदस्य विचार-विमर्श किए जा रहे किसी प्रोटोकॉल में उपयोग किए जाने वाले प्रस्तावित पशुओं की संख्या में कमी की मांग करते हुए, वैज्ञानिक औचित्य के साथ अभिलेख पर आपत्ति रखता है, तो समिति और विचार-विमर्श किए जाने से पहले आवेदक से पशुओं की प्रस्तावित संख्या के लिए स्पष्टीकरण और औचित्य मांगेगी।

19. अन्य समितियों और उप समितियों को नियुक्त करने और उनमें व्यक्तियों को सहयोजित करने के लिए समिति की शक्तियाँ - (1) समिति अपने मामलों के प्रशासन और अपने कार्यकलापों के लिए अपने सदस्यों में से ऐसी अन्य समिति या उप समितियों को गठित करने का संकल्प ले सकती है।

(2) समिति, उप नियम (1) के अधीन नियुक्त समिति या उप समितियों में आवश्यक और उपयुक्त व्यक्तियों को सहयोजित कर सकेगी और ऐसी समितियों या उप-समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए अनुज्ञात कर सकेगी और ऐसे व्यक्तियों में सरकारी संगठनों, गैर-सरकारी संगठनों और पब्लिक सेक्टर के पशु- रहित प्रयोग विधियों के विशेषज्ञों सहित, विषय-वस्तु के विशेषज्ञ भी शामिल होंगे।

(3) उप-नियम (2) के अधीन किसी भी प्रयोजन के लिए सहयोजित व्यक्ति को उस प्रयोजन से सुसंगत चर्चाओं में भाग लेने का अधिकार होगा, लेकिन उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा।

(4) समिति के किसी भी शासकीय या अशासकीय सदस्य को उसकी अपनी संस्था या अन्य संस्थाओं की संस्थागत पशु नैतिक समिति के सदस्य के रूप में नामनिर्देशित नहीं किया जाएगा।

20. भत्ते- (1) पदेन सदस्य के अलावा, सदस्य को केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय का भुगतान किया जाएगा।

(2) समितियों या उप-समितियों और अन्य विशेषज्ञ समितियों के सभी अशासकीय सदस्यों को छह हजार रुपए बैठक फीस या बैठक फीस के लिए समय-समय पर वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विहित फीस, प्रदान की जाएगी।

(3) समिति का ऐसा कोई सदस्य, जो एक अधिकारी नहीं है, समिति या उसकी उप-समिति या किसी अन्य संगम या संस्था की बैठक में भाग लेने के प्रयोजन के लिए की गई किसी भी यात्रा या जिसमें उसे समिति के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त/ नामनिर्देशित किया गया हो या अध्यक्ष के निदेश के अधीन निष्पादित समिति के कार्य के संबंध में अन्य यात्रा के सम्बन्ध में यात्रा भत्ता और आनुषंगिक व्यय प्राप्त करने का हकदार होगा।

(4) समिति का कोई सदस्य, जो एक अधिकारी है, वह अपने संगठन, मंत्रालय, विभाग से उसे लागू यात्रा भत्ता नियमों के अनुसार उप-नियम (3) के अधीन उल्लिखित परिस्थितियों में, यात्रा और दैनिक भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा।

(5) जहां किसी व्यक्ति, जो अधिकारी या सदस्य नहीं है, समिति के अध्यक्ष द्वारा, समिति या उसकी उप-समिति की बैठक में भाग लेने के प्रयोजन के लिए कोई यात्रा या समिति के कार्य के संबंध में अन्य कोई यात्रा करने के लिए कहा जाता है तो वह ऐसी यात्रा के सम्बन्ध में भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, वर्ग-1 अधिकारी की पात्रता के लिए दरों पर यात्रा या प्रवहन भत्ता या दैनिक भत्ता के संदाय का हकदार होगा।

21. अध्यक्ष की शक्तियां और कर्तव्य- (1) अध्यक्ष, समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेगा।

(2) अध्यक्ष, समिति के समुचित कार्यकरण और उसके निर्णयों के कार्यान्वयन और अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) अध्यक्ष:-

(क) महत्वपूर्ण कागज पत्रों और मामलों को समिति के समक्ष यथासाध्य शीघ्र प्रस्तुत करवाएगा;

(ख) समिति की प्राप्ति और व्यय का हिसाब बनाए रखवाएगा;

(ग) समिति के कार्यकरण की एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करवाएगा जिसे वार्षिक साधारण बैठक में अनुमोदित किए जाने के बाद केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा;

(घ) भारत के किसी भी भाग में समिति से संबंधित कार्य के सम्बन्ध में अग्रसर होने के लिए किसी सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति को प्राधिकृत करना;

(ङ) कर्मचारियों के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाहियां संस्थित करना;

(च) समिति के सभी कर्मचारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखेगा; और

(छ) भारत सरकार की वर्तमान प्रक्रियाओं के अनुसार समिति के सदस्यों/ पदाधिकारियों / कर्मचारियों की बैठक फीस जैसे यात्रा भत्ते और अन्य पारिश्रमिक के लिए प्रस्तावों का अनुमोदन करना ।

22. सदस्य-सचिव की शक्तिया- (1) सदस्य-सचिव, अध्यक्ष के साधारण नियंत्रण में कार्य करेगा जो उसे निम्नलिखित में से सभी या किसी कार्य को प्रत्यायोजित कर सकेगा:-

- (क) अध्यक्ष के निदेशाधीन समिति की बैठकों का आयोजन करना।
- (ख) अध्यक्ष के निदेशाधीन प्रत्येक बैठक के लिए कार्यसूची तैयार करना और उसे समिति के प्रत्येक सदस्य को बैठक की सूचना के साथ लागू करना।
- (ग) समिति की बैठकों के कार्यवृत्त का रखरखाव;
- (घ) केन्द्रीय सरकार को अधिनियम या नियमों के अधीन अपेक्षित वार्षिक रिपोर्टों और विवरणियों और आवश्यक दस्तावेजों सहित सभी रिपोर्टों की प्रतियां प्रस्तुत करना।
- (ङ) समिति का वार्षिक बजट तैयार करना।

(2) अध्यक्ष, समिति की अनुमति से, सदस्य-सचिव को समिति या अध्यक्ष के किसी अन्य कार्य को सौंप सकेगा।

(3) सदस्य-सचिव समय-समय पर वर्तमान साधारण वित्तीय नियमों या उसके अधीन किए गए संशोधनों में अधिकथित संहितात्मक उपबंधों और वित्त मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा समय-समय पर विभिन्न आदेशों में अधिकथित प्रक्रियाओं के अनुसार उन्हें प्रत्यायोजित ऐसी वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करेगा।

(4) प्रत्यायोजित शक्तियों को अधीनस्थ अधिकारी को और पुनः प्रत्यायोजित नहीं किया जाएगा और विभाग/ संगठन के प्रधान इस प्रकार प्राधिकृत प्रत्यायोजित शक्तियों के भीतर उनके द्वारा किए गए विनिश्चयों की शुद्धता, नियमितता और औचित्य के लिए जिम्मेदार होंगे।

(5) सदस्य-सचिव समिति के सदस्यों और उनके पतों का अभिलेख रखेगा।

(6) यदि कोई सदस्य अपना पता बदलता है, तो वह सदस्य-सचिव को अपना नया पता अधिसूचित करेगा, जो तदुपरि अभिलेख में सदस्य का नया पता प्रविष्ट करेगा, किन्तु यदि सदस्य अपना नया पता अधिसूचित करने में विफल रहता है, तो शासकीय अभिलेख का पता सभी प्रयोजनों के लिए सदस्यों का पता माना जाएगा।

23. समिति की निधि- (1) अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (4) के अनुसार, समिति की निधि में समय-समय पर सरकार द्वारा और उसमें किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए अभिदान, दान, चंदा, वसीयत, उपहार आदि व्यष्टियों या पक्षकारों जिनका उनके विनिश्चयों में कोई संभाव्य पूर्वाग्रह या पण है, प्रयोगों या शिक्षण या प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए पशुओं का उपयोग करने वाले किसी व्यष्टि या समूह, से प्राप्त अनुदान के सिवाय अनुदान शामिल होंगे।

(2) समिति अनुदानों को व्यय के विभिन्न शीर्षों में विभाजित करेगी और अनुदानों को उन शीर्षों में आवंटित करेगी, जिन्हें अनुदान की मांग भेजते समय प्रशासनिक मंत्रालय के एकीकृत वित्त प्रभाग की मंजूरी के पश्चात वित्तीय वर्ष की पहली बैठक में अनुमोदित किया जाएगा,

(3) रजिस्ट्रीकरण और नवीनीकरण फीस के माध्यम से समिति की आय, और समिति द्वारा विनियमित संस्थानों पर समिति द्वारा अधिरोपित किसी भी अन्य फीस या शास्ति या प्रभार (जैसे विलंब फीस आदि)।

24. वार्षिक बजट प्राक्कलन तैयार करना और प्रस्तुत करना- (1) 1 अप्रैल से आरम्भ होने वाले 31 मार्च को समाप्त होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए समिति का बजट प्राक्कलन सदस्य-सचिव द्वारा तैयार किया जाएगा।

(2) समिति, बजट प्राक्कलनों पर ऐसे परिवर्तनों के साथ विचार और अनुमोदन करेगी जिन्हें वह बजट प्राक्कलनों पर विचार करने के लिए नियत बैठक में उचित समझे।

(3) समिति द्वारा यथा अनुमोदित बजट प्राक्कलन केन्द्रीय सरकार को उसके औपचारिक अनुमोदन के लिए 31 मार्च या ऐसी अन्य तारीख, जो केन्द्रीय सरकार इस प्रयोजन के लिए नियत करे, से पहले प्रस्तुत किया जाएगा।

(4) केन्द्रीय सरकार द्वारा, समय-समय पर, जारी किए जाने वाले ऐसे आदेशों के अधीन रहते हुए, कोई व्यय तब तक उपगत नहीं किया जाएगा जब तक केन्द्रीय सरकार द्वारा बजट मंजूर नहीं कर दिया जाता है और समिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा व्यय प्राधिकृत नहीं कर दिया जाता है।

25. अनुपूरक प्राक्कलन – यदि, किसी वित्तीय वर्ष के दौरान, किसी भी कारण से, केन्द्रीय सरकार द्वारा अंतिम रूप से यथा अनुमोदित बजट प्राक्कलनों उपांतरण में सारवान अन्तर्वलित होने की संभावना है तो समिति ऐसे अनुपूरक प्राक्कलनों को केन्द्रीय सरकार को ऐसे प्ररूप में तथा ऐसी तारीख को जैसा केन्द्रीय सरकार निदेश दे अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगी।

26. धन का विनिधान और निकासी- (1) समिति का बैंक कार भारतीय स्टेट बैंक होगा।

(2) समिति की सभी निधियों का संदाय समिति के खाते में किया जाएगा और सदस्य-सचिव द्वारा हस्ताक्षरित चेक के सिवाय निधियों को नहीं निकाला जाएगा।

(3) चेक बुक सदस्य सचिव के निजी अभिरक्षा में रहेंगी।

27. स्थायी अग्रिम- समिति के कार्यालय के छोटे मोटे व्यय को पूरा करने के लिए, प्रतिपूर्ति किए जाने के लिए, जब भी अपेक्षित हो, सदस्य-सचिव दस हजार रुपए का स्थायी अग्रिम निकालेगा।

28. लेखा और लेखा-परीक्षा - (1) समिति उचित लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख बनाए रखेगी।

(2) समिति के खातों की भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक या इस निमित्त उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा वार्षिक रूप से लेखा परीक्षा की जाएगी और ऐसी लेखापरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा उपगत किसी भी व्यय को समिति द्वारा भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक को संदेय होगा।

(3) आंतरिक लेखा-परीक्षा प्रशासनिक मंत्रालय के एकीकृत वित्त प्रभाग या समिति द्वारा नियुक्त आंतरिक लेखा परीक्षक द्वारा भी की जा सकेगी।

(4) भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक और उनके द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति समिति के लेखाओं की लेखा-परीक्षा कर सकेगा और ऐसी लेखा-परीक्षा के संबंध में उसे वहीं अधिकार प्राप्त होंगे जो लेखा-परीक्षा के संबंध में भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक को सरकारी लेखाओं की लेखा-परीक्षा करने के संबंध में प्राप्त होते हैं और विशिष्टित: उसे बहियों, लेखाओं संबंधित वाचनों तथा अन्य दस्तावेजों तथा कागजपत्रों को प्रस्तुत करने की मांग करने और समिति के कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(5) लेखा परीक्षा और लेखा रिपोर्ट को समिति की वार्षिक साधारण बैठक के समक्ष विचार के लिए रखा जाएगा।

(6) प्राप्तियों के लेखाओं में वित्तीय वर्ष के दौरान समिति द्वारा प्राप्त सभी राशियों का विवरण शामिल होगा जो निम्नलिखित शीर्षों के अधीन दर्शाया जाएगा:-

(क) केन्द्रीय सरकार से प्राप्त किया गया धन;

(ख) स्थापनों से प्राप्त प्रसंस्करण फीस;

(ग) समिति द्वारा प्राप्त अन्य धन राशियां; और

(घ) पूर्वोक्त रूप में ऐसे धन के निवेश से प्रोदभूत ब्याज।

(7) उप-नियम (6) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रत्येक शीर्ष के अधीन प्राप्तियों को दर्शाया जाएगा और आरंभिक अति शेष का भी उल्लेख किया जाएगा।

(8) वित्तीय वर्ष के दौरान उपगत व्यय को निम्नलिखित शीर्षों के अधीन दर्शाया जाएगा:-

(क) वेतन संदाय, यात्रा व्यय आदि सहित समिति का प्रशासन;

(ख) समिति के कृत्यों के संबंध में किए गए उपाय, प्रत्येक मद को अलग से दर्शाया जाएगा; और

(ग) विविध।

(9) वित्तीय वर्ष के लिए अंतिम अतिशेष लेखाओं को व्यय पृष्ठ के नीचे दर्शाया जाएगा; और

(10) समिति, वित्त मंत्रालय द्वारा अधिकथित वित्तीय नियमों के अनुसार लेखाओं को बनाए रखेगी।

29. समिति के कर्मचारिवृन्द - (1) उक्त अधिनियम की धारा 16 के अनुसार, केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण के अधीन रहते हुए, समिति अपनी शक्तियों का प्रयोग तथा अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए अपने को समर्थ बनाने के हेतु उतने अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों को नियुक्त कर सकेगी जितने आवश्यक हों और ऐसे अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों के पारिश्रमिक तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें अवधारित कर सकेगी।

(2) समिति का कार्यालय, समिति से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अपने कार्यों को निष्पादित करने के लिए समय-समय पर उनके द्वारा अपेक्षित जनशक्ति को विनियोजित करेगा।

30. समिति के कृत्य के लिए व्यय - (1) सभी व्यय वित्त मंत्रालय द्वारा, समय-समय पर, वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार अधिकृत साधारण वित्तीय नियमों के अनुसार किए जाएंगे।

(2) सदस्य-सचिव, एकीकृत वित्त प्रभाग की सहमति से और प्रशासनिक मंत्रालय के सचिव के अनुमोदन से तथा वित्तीय शक्ति प्रत्यायोजन नियम, 1978 के अनुसरण में समय-समय पर उसे प्रत्यायोजित की गई वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार व्यय उपगत करने के लिए सशक्त होगा।

31. आस्ति - सरकारी निधि के व्यय से सृजित की गयी समिति की आस्तियों का रख-रखाव समिति में आस्तियों के रजिस्टर के माध्यम से किया जाएगा।

[फा. सं. V-11011(14)/2/2021-सीपीसीएसईए- डीएडीएफ]

डॉ. ओ. पी. चौधरी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING

(Department of Animal Husbandry and Dairying)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd February, 2023

G.S.R. 82(E).—Whereas a draft of the Committee for the Purpose of Control and Supervision of Experiments on Animals (CPCSEA) Administrative Rules, 2022 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) vide notification of the Government of India, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying number G.S.R. 292(E), dated the 11th April, 2022, inviting objections and suggestion from all persons likely to be affected thereby, within a period of thirty days, from the date of which copies of Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, the copies of the said Gazette were made available to the public on the 11th April, 2022;

And whereas the objections and suggestions received in respect of the said draft rules, have been duly considered by the Committee for Control and Supervision of Experiments on Animals;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under section 15 read with section 38 of the Prevention of Cruelty to Animal Act, 1960 (59 of 1960), the Central Government hereby makes the following rules, namely:---

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Administrative (Committee for Control and Supervision of Experiments on Animals) Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. -In these rules, unless the context otherwise requires,-

- (a) “Act” means the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960);
- (b) “Board” means the Animal Welfare Board of India established under section 4 and as reconstituted from time to time under section 5A of the Act;
- (c) “CCSEA” means the Committee for Control and Supervision of Experiments on Animals established under sub-section (1) section 15 of the Act, (hereinafter referred to as “Committee”);
- (d) “Chairman” means the Chairman nominated under sub-section (2) of section 15 of the Act;
- (e) “Member” means a Member of the Committee for Control and Supervision of Experiments on Animals;
- (f) “Member-Secretary” means the Member-Secretary to the Committee for Control and Supervision of Experiments on Animals;
- (g) “IAEC” means Institutional Animal Ethics Committee; and
- (h) “Experimentation” means any programme or project involving use of animal for the acquisition of knowledge of a biological, physiological, ethological, physical or chemical nature; and includes the use of animal in the production of reagents and products such as antigens and antibodies, routine diagnostics, testing activity and establishment of transgenic stocks, for the purpose of saving or prolonging life or alleviating suffering or significant gains in well being for people of the country or for combating any disease whether of human beings or animals;

3. Headquarters of Committee. –The head quarter of the Committee for Control and Supervision of Experiments on Animals shall be at New Delhi.

4. Constitution of Committee. –The Central Government shall constitute Committee for Control and Supervision of Experiments on Animals as per section 15 of the Act with the following Members, namely:-

- (1) Additional Secretary or equivalent or Joint Secretary, In-Charge of Animal Welfare;
- (2) Joint Commissioner or Deputy Commissioner, In-Charge of Animal Welfare;
- (3) Representative, Animal Welfare Board of India not below the rank of Secretary, Animal Welfare Board of India;
- (4) President, Veterinary Council of India, New Delhi or his Representative not below the rank of Secretary, Veterinary Council of India;
- (5) President, Pharmacy Council of India, New Delhi or his Representative not below the rank of Secretary, Pharmacy Council of India;
- (6) Representative of Central Drugs Standard Control Organization, New Delhi not below the rank of Deputy Drugs Controller;
- (7) Chairman, National Medical Commission, New Delhi or his Representative not below the rank of President, National Medical Commission;
- (8) Chairman, University Grants Commission, New Delhi or his Representative not below the rank of Secretary, University Grants Commission;
- (9) Representative of Indian Council of Medical Research, New Delhi not below the rank of Scientist – F;
- (10) Representative of Council of Scientific and Industrial Research, New Delhi not below the rank of Scientist – F;
- (11) Representative of Indian Council of Agricultural Research, New Delhi not below the rank of Scientist – F;
- (12) Representative of Department of Biotechnology, New Delhi not below the rank of Scientist – F;
- (13) Three members from the field of Pharmaceutical Science, Bio-Statistics, Veterinary Sciences and Zoology- Members;
- (14) Two members, expert of Livestock or equines or dogs and non human primates- Members; and
- (15) Two socially aware members having knowledge of animal ethics, welfare and alternatives to animal experimentation-Members.

5. Chairman of Committee. - The Central Government shall nominate Additional Secretary or equivalent or Joint Secretary, in-Charge of Animal Welfare to be its Chairman.

6. Member-Secretary of Committee. – The Central Government shall nominate Joint Commissioner or Deputy Commissioner, in-Charge of Animal Welfare to be its Member-Secretary.

7. Casual Vacancies. - (1) Any casual vacancy arising in the office of a Member shall be filled by Central Government in the manner provided in one or the other of the clauses of rule 4, according to the capacity in which such person had found a place in the Committee as a Member.

(2) A Member appointed to fill a casual vacancy shall hold office as long as the Member whose place he fills would have been entitled to hold office, if the vacancy has not occurred.

8. Resignation. – (1) A Member, other than the Chairman, may by a letter addressed to the Chairman, resign from membership.

(2) The Chairman may resign from membership by a letter addressed to the Secretary to the Government of India of the administrative Ministry.

(3) A resignation shall take effect from the date of its acceptance or on the expiry of thirty days from the date of resignation, whichever is earlier.

9. Removal from Committee. –The membership of a Committee Member may cease, if a Member:-

- (a) absents himself from three consecutive meeting of the Committee without the leave of the Committee; or
- (b) has been adjudged as an insolvent, or;

- (c) has been accused of an offence involving animal cruelty and moral turpitude; or
- (d) has become physically or mentally incapable of acting as such Member.
- (e) has violated the condition of confidentiality of Membership.

10. Tenure of Committee. - Committee shall be reconstituted from time to time on the expiration of every three years from the date of its reconstitution, as per rule 4.

11. Functions of Committee. - The Committee shall discharge the following functions, namely;

- (a) registration of establishments engaged in breeding of animals and conducting experiments on animals and renewal of registered establishments.
- (b) constitution, re-constitution and revision of the Institutional Animal Ethics Committee.
- (c) approval of animal house facilities for Small and Large animals.
- (d) examination of research protocols for experimentation on animals or pre-scrutiny of research protocols on large animals and their approval.
- (e) inspection of animal house facilities of establishments, institutes and centres where experimental animals are kept for research, production of Biopharmaceuticals and Breeding purpose.
- (f) conducting conference, seminar, workshops, nominee trainings and the like for the awareness of laboratory animal welfare and ethics and to promote the principles of the replacement, reduction and refinement with respect to use of animals for experiments and teaching or training purposes and to recognise the available non- animal methods and non-animal derived biological products as per the mandate of Committee.
- (g) to advise the Government regarding the welfare of animals meant for experimentation in research institutions, pharmaceutical companies and educational institutions.
- (h) to ensure implementation of rules and guidelines of the Committee made under the said Act for welfare of animals.
- (i) analyse inspection reports submitted by the nominee of Committee and scrutinise the minutes of the Institutional Animal Ethics Committee meeting submitted by the establishment.
- (j) make efforts to tap more and more establishments housing laboratory animals and bring them under the ambit of the Committee.
- (k) any other work related to Laboratory Animal Welfare as per the mandate of the Committee assigned as per the said Act.
- (l) revision of the guidelines of Committee, their dissemination, implementation and monitoring.
- (m) grading of animal house facilities purpose wise categorically like that:-
 - (i) Medical college set up,
 - (ii) Pharmacy college set up,
 - (iii) Veterinary college set up,
 - (iv) Research Institute set up,
 - (v) Pharma industry set up,
 - (vi) Vaccine industry set up,
 - (vii) Life sciences University set up, and the like.
- (n) maintenance of database on the available non-animal methods for experiments, teaching and training.

12. Meetings of Committee. - (1) The meeting of the Committee shall be held once in every month.

(2) The meetings shall ordinarily be held at the headquarters of the Committee but the Chairman may, if necessary, fix the venue of the meetings at places other than the headquarters of the Committee.

13. Disposal of business. - (1) The applications or proposals received in the office of the Committee through its dedicated web portal shall be considered and processed as per the following timelines:-

Serial Number	Activities	Timelines
1	Approval of registration and constitution of Institutional Animal Ethics Committee or Amendment in registration	seven working days

2	Renewal of registration and re-constitution of Institutional Animal Ethics Committee or Revision of Institutional Animal Ethics Committee or Change of Nominee	three working days
3	Pointing out deficiency and rejecting the protocol back to the organization by the Committee	three working days
4	Evaluation of the protocol by sub-committee of Committee and forwarding to the Committee for consideration	seven working days
5	Evaluation and decision on the Large Animal research protocols, if all other prerequisites as per Committee are fulfilled.	thirty working days
6	Committee Meeting	once in a month

- (2) The above timelines are subject to submission of all the requisite details and documents by the establishments.
- (3) All matters wherein the deliberation of the Members of Committee is required shall be considered either at its meeting or by circulation of papers.
- (4) When a matter is referred by circulation of papers, any Member may request that the matter may be considered at a meeting of the Committee and thereupon the Chairman may direct that it to be so considered.
- Provided that if three or more Members make such a request, the Chairman shall direct that it be so considered.
- (5) The proposals shall be considered deemed to be approved, if it is lying pending for more than one month even after completion of proposal in all respect or the Committee did not deliberate on the proposal for one month.
- (6) The proposals shall be considered rejected if the queries or clarifications raised by the Committee are not replied or complied with within the stipulated time.

14. Annual General Meeting. - (1) There shall be an Annual General Meeting once in a year.

- (2) At one of its General Meeting each year, the Member-Secretary shall submit the annual report and the yearly accounts of the Committee for the working of proceeding financial year for the approval of the Committee.

15. Special Meetings. – (1) The Chairman shall convene a special meeting of the Committee on the written requisition of fifteen Members of the Committee.

- (2) Any requisition made by the Members of the Committee shall specify the object of the meeting proposed to be called and shall be left at the address of the Member-Secretary or posted to his address.
- (3) Upon such requisition, the Chairman shall give notice of a meeting to be held within thirty days after the receipt of such requisition.

16. Notice of Meeting. – Every notice calling a meeting of the Committee shall state the date, time and place at which such meeting will be held and shall be served upon every Member of the Committee not less than seven days before the day appointed for the meeting, other than the Annual General Meeting in which case the period of notice shall be not less than fifteen days.

17. Quorum for Meetings. – Eleven Members of the Committee shall form a quorum at every meeting of the Committee;

Provided that at any meeting in which less than eleven members are present, the Chairman may adjourn the meeting to a date not less than fourteen days later and inform the Members present and notify other Members that he proposed to dispose of the business at the adjourned meeting irrespective of the quorum and it shall thereupon be lawful to dispose of the business at such adjourned meeting irrespective of the number of members attending.

18. Procedure at Meetings. -(1) If the Chairman is not present at any meeting of the Committee, the Members shall choose one among themselves to be the Chairman of the meeting.

- (2) In case the difference of opinion amongst the Members at the meeting of the Committee, the opinion of the majority shall prevail.
- (3) Each Member shall have one vote and if there shall be equality of votes on any matter to be decided at a meeting of the Committee, the Chairman of the meeting shall have a casting vote.
- (4) No business which is not on the agenda shall be considered at any meeting without the permission of the Chairman.
- (5) The consensus of the Members present in a particular meeting shall prevail.

Provided that if any Member places on record an objection to any protocol on the basis of availability of an alternative to use of animals, such a protocol proposing to use an animal shall be rejected.

Provided that if any Member places on record an objection along with scientific justification, seeking reduction of the number of animals proposed to be utilised in any protocol being deliberated upon, the Committee shall seek an explanation and justification for the proposed number of animals from the applicant before further deliberations.

19. Powers of the Committee to appoint other Committees and sub-Committees and to co-opt persons therein. – (1) The Committee may resolve to constitute such other Committee or sub-Committees from amongst its Members for the administration of its affairs and for carrying out its functions.

- (2) The Committee may co-opt such persons to the Committees or sub-Committees appointed under sub-rule (1) as it considers necessary and suitable, and may permit them to attend the meetings of such Committees or sub-Committees and such persons shall include subject-matter experts, including experts in animal-free experimentation methods, from government organisations, non-government organisations, and the public sector.
- (3) A person co-opted under sub-rule (2) for any purpose shall have the right to take part in the discussions relevant to that purpose, but shall not have the right to vote.
- (4) No official or non official Member of Committee shall be nominated as member of Institutional Animal Ethics Committee of his institution or other institutions.

20. Allowances. – (1) The Member, other than ex-officio Member, shall be paid such honorarium as may be determined by the Central Government.

- (2) A sitting fee of rupees six thousand shall be provided to all the non-official Members of the Committee or sub-Committee and other Expert Committees or the amount prescribed by the Ministry of Finance, Government of India time to time for sitting fees.
- (3) A Member of the Committee who is not an official shall be entitled to draw Travelling Allowance and Incidental Expenditure in respect of any journey performed for the purpose of attending a meeting of the Committee or sub-Committee thereof or any other association or institution to which he is appointed or nominated as a representative of the Committee or any other journey in connection with the work of the Committee performed under the direction of the Chairman.
- (4) A Member of the Committee who is an official shall be entitled to draw, in the circumstances mentioned under sub-rule (3) travelling and daily allowance in accordance with the travelling allowance rules applicable to him from his organisation or Ministry or Department.
- (5) Where a person who is not official or a Member is asked by the Chairman of the Committee to perform any journey for the purpose of attending a meeting of the Committee or sub-Committee thereof or any other journey in connection with the work of the Committee he shall in respect of such journey be entitled to the payment of travelling or conveyance allowance or daily allowance at the rates as per the Government of India guidelines for entitlement of class-I officer.

21. Powers and duties of Chairman. – (1) The Chairman shall preside over meetings of the Committee.

(2) The Chairman shall be responsible for the proper functioning of the Committee and the implementation of its decisions and the discharge of its duties under the Act.

(3) The Chairman shall, –

- (a) cause important papers and matters to be presented to the Committee as early as practicable;
- (b) cause to be maintained on account of the receipt and expenditure of the Committee;
- (c) cause an annual report of the working of the Committee to be prepared which after being approved at its Annual General Meeting shall be submitted to the Central Government;
- (d) authorise a member or any other person to proceed on work connected with the Committee to any part of India;
- (e) institute criminal proceedings against employees;
- (f) exercise such administrative control over all employees of the Committee; and
- (g) approve proposals for Travelling Allowances and other remuneration such as sitting fees of the Members or Officials or Staff of the Committee as per extant Government of India procedures.

22. Powers of Member-Secretary. – (1) The Member-Secretary shall work under the general control of the Chairman who may delegate to him all or any of the following powers and duties namely:-

- (a) convening of meetings of the Committee for under the direction of the Chairman;
- (b) drawing up agenda for each meeting under the Chairman's directions and applying the same to each Member of the Committee, along with the notice of the meeting;
- (c) maintenance of minutes of meetings of the Committee;
- (d) furnishing to the Central Government copies of all reports, including annual reports and returns and necessary documents required under the Act or the rules; and
- (e) preparation of the annual budget of the Committee.

(2) The Chairman may, with the permission of the Committee, delegate to the Member-Secretary any other function of the Committee or of the Chairman.

(3) The Member-Secretary shall exercise such financial powers delegated to him as per the provisions laid down in existing General Financial Rules or amendments made there under and the procedures laid down in various orders by Ministry of Finance, Department of Personnel and Training, Ministry of Law and Justice, Ministry of Urban Development and Central Vigilance Commission from time to time.

(4) Delegated powers shall not be further re-delegated to sub-ordinate officer and Head of Department or organisation shall be responsible for the correctness, regularity and propriety of the decisions taken by them within delegated powers so authorised.

(5) The Member-Secretary shall keep a record of the Members of the Committee and their addresses.

(6) If a Member changes his address, he shall notify his new address to the Member-Secretary who shall thereupon enter his new address in the record, but if the Member fails to notify his new address, the address on official record shall for all purpose be deemed to be the Members' address.

23. Fund of Committee. - (1) In accordance with the sub-section (4) of section 15 of the Act, the funds of the Committee shall consist of grants made to it from time to time by the Government and of contributions, donations, subscriptions, bequests, gifts and the like made to it by any person except from individuals or parties with any potential bias or stake in its decisions, including any one or any group that uses animals for experiments or teaching or training purposes.

(2) The Committee shall divide the Grants in various head of expenditure and allot the grants in those heads which shall be approved in the first meeting of financial year followed by the approval of the Integrated Finance Division of the administrative Ministry while sending demands for Grants.

(3) The income of Committee through registration and renewal fee, and any other fee or penalty or charges (such as late fee etc) imposed by the Committee on institutions regulated by the Committee.

24. Preparation and Submission of Annual Budget Estimates. – (1) The budget estimates of the Committee for every financial year beginning with the 1st day of April and ending on the 31st day of March following shall be prepared by the Member-Secretary.

(2) The Committee shall consider and approve the budget estimates with such changes as it thinks fit at the meeting fixed for the consideration of the budget estimates.

(3) The budget estimates as approved by the Committee shall be submitted to the Central Government for their formal approval before the 31st March or such other date as the Central Government may fix for the purpose.

(4) Subject to such orders as may be issued by the Central Government from time to time, no expenditure shall be incurred until the budget is sanctioned by the Central Government and expenditure authorised by a competent authority in the Committee.

25. Supplementary Estimates. – If, during any financial year, for any reasons, substantial modification in the budget estimates as finally approved by the Central Government is likely to be involved, the Committee shall submit for approval to the Central Government supplementary estimates in such form and on such date as the Central Government may direct.

26. Investment and Withdrawal of Money. – (1) The bankers of the Committee shall be State Bank of India.

(2) All funds of the Committee shall be paid into Committee's account and shall not be withdrawn except on cheques signed by the Member-Secretary.

(3) The cheque books shall remain in the personal custody of the Member-Secretary.

27. Permanent Advance. – The Member-Secretary shall withdraw a permanent advance of rupees ten thousand to be re-couped as and when required, to meet the petty expenditure of the office of the Committee.

28. Accounts and Audit. – (1) The Committee shall maintain proper accounts and other relevant records.

(2) The accounts of the Committee shall be audited annually by the Comptroller and Auditor General of India or by any person appointed by him in this behalf and any expenditure incurred by him in connection with such audit shall be payable by the Committee to the Comptroller and Auditor – General of India.

- (3) The internal audit may also be carried out by the Integrated Finance Division of administrative Ministry or the internal Auditor appointed by the Committee.
- (4) The Comptroller and Auditor – General of India and any person appointed by him audit the accounts of the Committee shall have the same rights, privileges and authority in connection with such audit as the Comptroller and Auditor – General of India has in connection with the audit of Government accounts and, in particular, shall have the right to demand the production of books, accounts, connected vouchers and other documents and papers and to inspect the office of the Committee.
- (5) The audit and accounts report shall be placed before the Annual General Meeting of the Committee for consideration.
- (6) The accounts of receipts shall include a statement of all sums received by the Committee during the financial year which shall be shown under the following heads namely:-
 - (a) money received from the Central Government;
 - (b) processing fee received from establishments;
 - (c) other moneys received by the Committee; and
 - (d) interest accrued from the investment of such money as aforesaid.
- (7) The receipts shall be shown under each of the heads specified under sub-rule (6) and the opening balance shall also be stated.
- (8) The expenditure incurred during the financial year shall be shown under the following heads, namely:-
 - (a) administration of the Committee including payment of salaries, travelling expenses and the like;
 - (b) measures taken in connection with the functions of the Committee, each item shall be shown separately; and
 - (c) miscellaneous.
- (9) The closing balance for the financial year shall be shown at the foot of the accounts on the expenditure side; and
- (10) The Committee shall maintain accounts as per the Financial Rules laid down by the Ministry of Finance.

29. Staff of Committee.- (1) As per section 16 of the said Act, subject to the control of the Central Government, the Committee may appoint such number of officers and other employees as may be necessary to enable it to exercise its powers and perform its duties and may determine the remuneration and other terms and conditions of service of such officers and other employees.

(2) The office of the Committee shall engage manpower as may be required by them time to time for performing its functions after taking the approval from the Committee.

30. Expenditure for the Function of Committee. - (1) All the expenditure to be made as per General Financial Rules, laid down by the Ministry of Finance as per delegation of financial powers from time to time.

(2) The Member-Secretary shall be empowered to incur expenditure as per the delegation of Financial Powers delegated to him from time to time with the concurrence of Integrated Finance Division and with the approval of Secretary of the administrative Ministry and in pursuance of the Delegation of Financial Power Rules, 1978.

31. Asset. - The Assets of the Committee created out with the expenditure of the Government fund to be maintained in the Committee through a register of assets.

[F. No. V-11011(14)/2/2021-CPCSEA-DADF]

Dr. O. P. CHAUDHARY, Jt. Secy.